96
16-4-12

संख्या– /XXVIII–5–2012–138/2007

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 30 मार्च, 2012

विषयः **राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, रीठाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–801/XXVIII–5–2007–138/2007, दिनांक 10.01.2008 एवं 1894/XXVIII–5–2010–138/2007, दिनांक 15.10.2010 तथा आपके पत्रांक–7प /1/एस0ए0डी0/32/2007/764, दिनांक 07.01.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, रीठाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल के निर्माणाधीन कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत मूल लागत ₹ 50.98 लाख के सापेक्ष गठित पुनरीक्षित लागत ₹ 86.00 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 71.78 लाख की मात्र वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
9. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(3)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जायेगा ।

.....2

11. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 07–एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण 00–आयोजनागत, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–451(P)/XXVII(3)/ 2011–12, दिनांक 28मार्च, 2012 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या-388 (1)/XXVIII–5–2012–138/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/ पौड़ी गढ़वाल।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड पौड़ी गढ़वाल ।
5– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव